न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/28/2021	2021/49	25.02.2021	28.10.2025

1. सरकार जरिये बीज/कीटनाशी/उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ़, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री केदार गुर्जर पुत्र श्री हंसराज गुर्जर नि0 गुर्जर खोहरा, तह0 लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
2. श्री विनोद सिंह, प्रतिनिधि मैसर्स एग्रीलाइफ टेक्रोलोजीज प्रा. लि. पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित बीज नियंत्रण आदेश 1983

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1983 के तहत कुल 10 कि.ग्रा. प्याज बीज को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अनुपस्थित।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 17.02.2021 को मुझ प्रार्थी को कृषि पर्यवेक्षक, छिलोड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा छिलोड़ी ग्राम में कृषक को प्याज बीज बेचा जा रहा है। जिसकी जांच हेतु श्री गोकरण मीणा, कृषि अधिकारी (फसल) एवं श्री गिरधर सिंह देवल, श्रीमान् सहायक निदेशक कृषि (वि.) के साथ ग्राम छिलोड़ी पहुंचा। वहां पर श्री केदार गुर्जर पुत्र श्री हंसराज गुर्जर, निवासी गुर्जर खोहरा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर मौजूद था एवं उसके पास 10 किलोग्राम प्याज बीज था। वहां पर श्री आमीन खां, छिलोड़ी एवं अन्य कई ग्रामवासी भी मौजूद थे। पूछताछ में श्री केदार गुर्जर द्वारा बताया गया कि वह मैसर्स एग्रीलाइफ टेक्नोलोजीज प्रा. लि. पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राज—335001 में काम करता है एवं फर्म के सीनियर अधिकारी श्री विनोद सिंह के निर्देश पर कृषक श्री आमीन खां, छिलोड़ी को यह बीज देने आया है, जिसका जीएसटी इनवाइस उसके द्वारा दिखाया गया। उसने बताया कि उसके पास बीज विक्रय करने का वैद्य अनुज्ञापत्र या अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। उसके द्वारा फर्म के श्री विनोद सिंह से दूरभाष पर वार्ता करवाई गयी, उनसे फर्म द्वारा अलवर जिले में प्याज बीज विक्रय करने के वैद्य अनुज्ञापत्र उपलब्ध करवाने हेतु कहने पर वैध अनुज्ञापत्र नहीं दिखाया गया।

मौके पर ही उक्त प्याज बीज का एक नमूना परीक्षण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आहरित किया गया एवं कार्यालय के पत्रांक 7754 दिनांक 18.02.2021 द्वारा श्रीमान कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति), राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, चित्तोड़गढ़ को भिजवाया गया एवं शेष दो नमुने रेफरी विश्लेषण हेतु कार्यालय के पत्रांक 7755—56 एवं 7757—58 दिनांक 18.02.2021 द्वारा श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (ति.), भरतपुर खण्ड, भरतपुर की अभिरक्षा में भेजे गये। उक्त प्याज बीज का बगैर वैध बीज विक्रय अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा था। इसलिए नमूना आहरण के बाद शेष लगभग 9.700 किग्रा बीज को जब्त किया गया एवं श्री बृजबिहारी गुर्जर, व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति, मालाखेड़ा को सुपुर्द किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उक्त अवैध कारोबार में संलिप्तता के मद्देनजर श्री केदार गुर्जर पुत्र श्री हंसराज गुर्जर, निवासी गुर्जर बोहरा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर एवं श्री विनोद सिंह, प्रतिनिधी मैसर्स एग्रीलाइफ टेक्रोलोजीज प्रा. लि. पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं 0133 दिनांक 17.02.2021 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना राजगढ़ में दर्ज की गई है। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत जब्त प्याज बीज को राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त बीज की वैधता अवधि दिनांक 04.03.2021 को ही समाप्त होने जा रही है, अतः यथाशीघ्र निस्तारण उचित होगा।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि नोटिस दिनांक 25.02.2021 में किये गये कथन गलत एवं अस्वीकार हैं। अप्रार्थी सं. 1 मैसर्स एग्रीलाइफ टेक्नोलॉजी प्रा.लि. में डिलीवरी बॉय के पद पर कार्यरत रहते हुए उक्त बीज की सप्लाई ग्राम छिरोडी में आमीन खॉन पुत्र फतेह मोहम्मद खॉन को देने जा रहा था जिस बाबत अप्रार्थी सं. 1 के पास उक्त माल का कंपनी की खरीद का बिल एवं सप्लाई का बिल मौजूद था। चूंकि, अप्रार्थी सं. 1 जो कि अप्रार्थी सं. 2 कंपनी में डिलीवरी बॉय है, के नाम से कोई बिल न होने के कारण उक्त माल पर कोई स्वामित्व नहीं है। अतः वह प्राप्त नहीं करना चाहता है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार मौके पर व्यापारी/डिलीवरी–बॉय ने वैध बीज विक्रय अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया; केवल जीएसटी इनवॉइस दिखाया गया। फोन पर फर्म प्रतिनिधि से वैध अनुज्ञापत्र दिखाने का अनुरोध किया गया, पर वैध अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि मौके पर वैध बीज विक्रय अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जीएसटी इनवॉइस का होना स्वाभाविक रूप से वैधता की पुष्टि नहीं करता। अतः उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का 6–ए प्रार्थना पत्र जब्त किए गए लगभग 9.700 किग्रा प्याज बीज की राजसात/निस्तारण हेतु अनुकूल माना जाता है। उक्त कृत्य बीज नियंत्रण आदेश 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जब्तशुदा 9.700 किग्रा प्याज बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा सम्बद्ध बीज/उर्वरक नियंत्रण प्रावधानों के अनुसार राजसात किया जाता है तथा उसके निस्तारण (नष्ट करना/अन्य नियमानुसार) का आदेश दिया जाता है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति बीज/कीटनाशी/उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ़, जिला अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा 9.700 किग्रा प्याज बीज, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय),
अलवर (राजस्थान)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर